भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 890

दिनांक 26 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

बिहार में आंगनवाड़ी केंद्र

890. श्री अरुण भारती:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) बिहार में वर्तमान में जिला-वार ऐसे आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या कितनी है जिनके पास अपना भवन नहीं है;

(ख) विगत दो वर्षों में स्वीकृत भवनों में से अधूरे आंगनवाड़ी भवनों की संख्या कितनी है; स्वीकृति दिए जाने की तिथि तथा इस संबंध में वर्ष-वार कार्य पूरा न किए जाने के कारण क्या हैं;

(ग) क्या इनके निर्माण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई थी तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कितने आंगनवाड़ी भवनों में स्वीकृति दिए जाने के बाद से कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) बिहार में कुल 87253 आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) के पास अपना भवन नहीं है। उनका जिलेवार विवरण अनुलग्नक में है।

(ख) से (घ) मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के साथ मिलकर आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए बिहार राज्य के लिए कुल **4305** आंगनवाड़ी केंद्रों (वित्त वर्ष **2022-23** में **1850** और वित्त वर्ष **2023-24** में **2455)** को स्वीकृति दी है। प्रति आंगनवाड़ी केंद्र लागत मानदंड **12.00** लाख रुपये है जिसमें एमजीएनआरईजीएस के तहत **8.00**

लाख रुपये**, 15**वें वित्त आयोग (या किसी अन्य असंबद्ध निधि) के तहत **2.00** लाख रुपये और एमडब्ल्यूसीडी द्वारा प्रति आंगनवाड़ी केंद्र **2.00** लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं जिसे निर्धारित लागत साझाकरण अनुपात में केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के बीच साझा किया जाता है।

प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) योजना के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान 49 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है।

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के दायरे में आता है। भारत सरकार लगातार इस योजना और इसके घटकों की निगरानी और समीक्षा करती है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार केवल नीति और नियोजन के लिए जिम्मेदार है और राज्य सरकारें दिन-प्रतिदिन के कार्यक्रम कार्यान्वयन और योजना के सभी परिचालन पहलुओं के लिए जिम्मेदार हैं।

बिहार सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उपयुक्त भूमि/समतल भूमि/एनओसी की अनुपलब्धता, विवादित भूमि या लघु आकार की भूमि के कारण 3745 आंगनवाड़ी केन्द्रों में कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है।

****

अनुलग्नक

"बिहार में आंगनवाड़ी केंद्र" विषय पर 26.07.2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 890 के भाग (क) के संबंध में विवरण

क्र. सं.	जिला	ऐसे आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या जिनके पास अपना भवन नहीं है *
1	अररिया	2270
2	अरवल	790
3	औरंगाबाद	1124
4	बांका	1161
5	बेगूसराय	2869
6	भागलपुर	2672
7	भोजपुर	2461
8	बक्सर	1258
9	दरभंगा	3019
10	पूर्वी चंपारण	4991
11	गया	1929
12	गोपालगंज	2010
13	जमुई	477
14	जहानाबाद	771
15	कैमूर	1190
16	कटिहार	2663
17	खगरिया	1539
18	किशनगंज	1144
19	लखीसराय	809
20	मधेपुरा	2055
21	मधुबनी	4234
22	मुंगेर	1425
23	मुजफ्फरपुर	4043
24	नालन्दा	1851
25	नवादा	1473
26	पटना	4086

27	पूर्णिया	4156
28	रोहतास	2329
29	सहरसा	2123
30	समस्तीपुर	4039
31	सारण	4186
32	शेखपुरा	556
33	शिवहर	467
34	सीतामढ़ी	3218
35	सिवान	3656
36	सुपौल	2131
37	वैशाली	3580
38	पश्चिम चंपारण	2498
कुल		**87253**

* **जैसा कि बिहार राज्य सरकार द्वारा बताया गया है।**